प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 18.12.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- थाना गलशहीद पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुये महिलाओं को बहला फुसलाकर धोखाधडी कर उनके आभूषणों की ठगी करने वाले 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर, कब्जे से ठगी किये पीली धातु के आभूषण एक मंगलसूत्र, 08 जोड़ी बालियां व 08 लौंग, एक नथ व एक जोडी टाप्स कुल वजन 21.94 ग्राम बरामद किये गयेः-

अवगत कराना है कि दिनांक 16.12.2024 को वादिनी निवासनी हसनपुर गंज थाना मूढापाण्डें मुरादाबाद ने दिनांक 13.12.2024 को थाना गलशहीद क्षेत्रान्तर्गत गांधीनगर में 02-03 आज्ञात व्यक्तियो द्वारा वादिनी को अपनी बातो में बहला फुसलाकर झांसा देकर छल से, वादिनी के कान की बालियाँ सोने की उतरवा लेने तथा फरार हो जाने के संबंध में थाना गलशही पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना गलशहीद पर मु0अ0सं0- 192/2024 धारा- 318(4)/316(2) बीएनएस बनाम 02-03 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, चोरी, धोखाधडी आदि घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा उपरोक्त घटना के शीघ्र अनावरण व संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर, एवं क्षेत्राधिकारी कटघर के नेतृत्व एवं कुशल पर्यवेक्षण में थाना गलशहीद पर टीम का गठन किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्यो के आधार पर गठित टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुये दिनांक 17.12.2024 की रात्रि मुखबिर खास की सूचना पर महिलाओं को बहला-फुसलाकर उनसे आभूषणों की ठगी करने वाले प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.जावेद पुत्र वलीउल्ला निवासी मौहल्ला शास्त्री नगर थाना कोतवाली, अमरोहा 2.आफताब पुत्र इस्माईल उर्फ कुडवा निवासी मौहल्ला शास्त्री नगर थाना कोतवाली, अमरोहा 3.शमशाद अली पुत्र महबूब अली निवासी वाहियापुर थाना नौगावा, अमरोहा को गिरफ्तार किया गया,अभियुक्तगण के कब्जे से पीली धातु के आभूषण एक मंगलसूत्र (वजन 11.66 ग्राम), 08 बालियां (वजन 5.58 ग्राम), 08 नाक की लौगं (वजन 3.4 ग्राम),

एक नथ (वजन 0.46 ग्राम) व एक जोडी टाप्स (वजन 0.26 ग्राम) (सभी का कुल वजन 21.94 ग्राम) बरामद किये गये। जिसमें मुकदमा उपरोक्त से संबंधित की वादिनी के एक जोड़ी बाली(पीली धातु 1.5 ग्राम) भी बरामद हुई है तथा बरामद अन्य माल के संबंध में जानकारी की जा रही है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 317(2) BNS की वृद्धि की गयी। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरणः-

पुलिस द्वारा पूछताछ में अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि हम जनपद मुरादाबाद व बिजनौर,गाजियाबाद व अन्य जनपदों के भीड-भाड वाले क्षेत्रों में आने जाने वाली महिलाओं को बहला फुसलाकर तथा उनको जीवन के दुख से दूर करने सम्बन्धी झांसे देकर छल से, उनके आभूषण उतरवा लेते हैं। जब तक महिलायें समझ पाती है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तब तक हम वहां से फरार हो जाते थे। इसी प्रकार दिनांक 13.12.2024 को गांधीनगर में एक महिला को बहला-फुसलाकर उसके कान की बालियाँ उतरवा ली और फरार हो गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.जावेद पुत्र वलीउल्ला निवासी मौहल्ला शास्त्री नगर थाना कोतवाली, जनपद अमरोहा
2.आफताब पुत्र इस्माईल उर्फ कुडवा निवासी मौहल्ला शास्त्री नगर थाना कोतवाली, जनपद अमरोहा
3.शमशाद अली पुत्र महबूब अली निवासी वाहियापुर थाना नौगावा, जनपद अमरोहा।

बरामदगी का विवरण अभियुक्तः –

1.जावेद के कब्जे से 15.07 ग्राम पीली धातु के आभूषण।
2.आफताब के कब्जे से 04.07 ग्राम पीली धातु के आभूषण।
3.शमशाद उपरोक्त के कब्जे से 2.8 ग्राम पीली धातु के आभूषण।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः –

1- अभियुक्त आफताब उपरोक्त--

1.मु0अ0सं0 23/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा।

2. अभियुक्त शमशाद उपरोक्त--

1.मु0अ0सं0 80/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा।
2.मु0अ0सं0 247/2022 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा।
3.मु0अ0सं0 117/2015 धारा 323,325,504 भादवि थाना नौगवां सादात जनपद अमरोहा।
4.मु0अ0सं0 191/2015 धारा 323,324,504 भादवि थाना नौगवां सादात जनपद अमरोहा।
5.मु0अ0सं0 293/2020 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम का विवरण :-

1-सौरभ त्यागी थानाध्यक्ष थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद।
2-उ0नि0 अमर मलिक चौकी प्रभारी रोडवेज थाना गलशहीद मुरादाबाद।
3-उ0नि0 कृष्णपाल सिंह चौकी प्रभारी गलशहीद थाना गलशहीद मुरादाबाद।
3-उ0नि0 श्रीओम पुण्डीर थाना गलशहीद मुरादाबाद
4-उ0नि0 रजत कुमार थाना गलशहीद मुरादाबाद।
5-उ0नि0 मौ0 परवेज थाना गलशहीद मुरादाबाद,व 6-का0 मोनू कुमार थाना गलशहीद मुरादाबाद।

2- एक राय होकर गाली- गलौच, मारपीट व जानलेवा हमला करने, जान से मारने की धमकी देने के अभियोग में वांछित 02 आरोपी गिरफ्तार थाना ठाकुरद्वाराः-

अवगत कराना है कि दिनांक 13.12.2024 को वादिनी निवासनी ग्राम गोपीवाला थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद ने आरोपीगण द्वारा एक राय होकर गाली-गलौच, मारपीट व धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध मे थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0- 538/2024 धारा-191(2)/191(3) 190/61(2)/115(2)/352/109/118(1)/351(3) बी0एन0एस0 बनाम नावेद आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 18.12.2024 को उ0नि0 प्रवीण कुमार थाना ठाकुरद्वारा द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपीगण 1- नावेद पुत्र गुलाम मौहम्मद, 2- गुलाम मौहम्मद पुत्र नन्हें निवासीगण ग्राम गोपीवाला थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

3-थाना सोनकपुर पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के 01 आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 18.12.2024 को थाना सोनकपुर पुलिस द्वारा आरोपी दिलशाद पुत्र नजर हुसैन निवासी ग्राम भिडवारी थाना सोनकपुर को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।